

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.bm.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/3665

दिनांक 22-3-2023

निमित्त:- अधिशासी अभियंता

जल संसाधन खण्ड III बारां।

विषय :- Diversion of 5.232 ha forest land in favour of water Resour Department for right

main Canal and minor of Ahamdi Mino Irrigation project. project.

(Proposal no. FP/RJ/IRRIG/23175/ 2016)

संदर्भ:- इस कार्यालय पत्र क्रमांक 2448 दिनांक 27.12.2022 के क्रम में संशोधित डिमान्डनोट।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्र क्रमांक पत्र सं० 8वीं/राज०/06/30/2021/एफ. सी/दिनांक 22.12.2022 से प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित बिन्दुओं की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अंडरटेकिंग सहित 5 सेट में इस कार्यालय में प्रेषित करें।

बिन्दु संख्या -1 के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन वल प्रमुख) राज० जयपुर के पत्र क्रमांक 443-57 दिनांक 02.11.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार 5.232 है० क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु

पार्ट - I है० 1.0900 राशि 1151720

पार्ट- II है० 3.392 राशि 3584069

पार्ट III है० 0.750 राशि 792468

कुल राशि 5528257 राशि लाख रु)

कैम्पा मद Online e- portal (<https://parivesh.nic.in/>) जमा करा रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे।

बिन्दु संख्या -2 के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन वल प्रमुख) राज० जयपुर के पत्र क्रमांक 15-27 दिनांक 07.01.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि (5.232 x 957780 per ha = 5,011,104.96 लाख) रुपये कैम्पा मद Online e- portal (<https://parivesh.nic.in/>) जमा करा रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे।

इसके अलावा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/ 2012 - एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण(NGT) के निर्णय दिनांक 07.11.12 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृती की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में प्रेषित करें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(दीपक कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक

बारां

दिनांक

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.अति:प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।

2.संभागीय मुख्य वन संरक्षक,कोटा।

(दीपक कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक

बारां